भारतीय जनता पार्टी
दिल्ली प्रदेश

संकल्प पत्र

दिल्ली विधानसभा
2020

पंडित दीनदयाल उपाध्याय

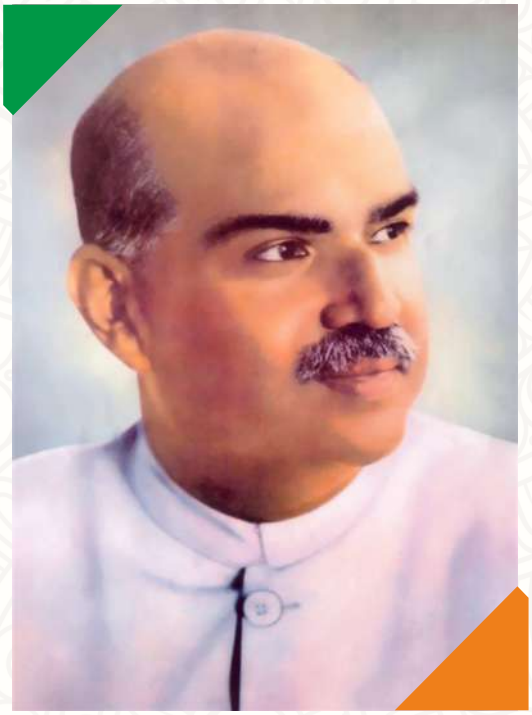

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

भारतीय जनता पार्टी
दिल्ली प्रदेश

संकल्प पत्र समिति के सदस्य

डॉ. हर्ष वर्धन

संयोजक

श्री विजेन्द्र गुप्ता

सह-संयोजक

श्री रामवीर सिंह बिधूडी

सह-संयोजक

श्री कपिल मिश्रा

सह-संयोजक

सुश्री आरती मेहरा

सह-संयोजक

प्रो. रजनी अब्बी

सह-संयोजक

श्री सत प्रकाश राणा

सह-संयोजक

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश

संकल्प पत्र के प्रमुख जन-कल्याणकारी बिंदु

- दिल्ली में साफ़, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
- दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक़ देने के बाद, उन्हें रजिस्ट्री देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कॉलोनियों के समुचित विकास की योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक समर्पित "कॉलोनीज डेवलपमेंट बोर्ड" का गठन किया जाएगा।
- 10 लाख व्यापारियों के दुकानों-दफ्तरों को लीज्होल्ड से फ्रीहोल्ड कराने का कार्य युद्ध-स्तर पर किया जाएगा।
- 3 लाख घरेलू उद्योगों के कामकाज के लिए आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब इन्हें कामकाज में कोई मुश्किल न आए।
- सीलिंग के कारण परेशान व्यापारी और कारोबारियों को राहत देने के लिए हम सभी प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाएंगे।
- सेल्फ अलॉटमेंट सोसाइटियों के एनओसी के प्रश्न को हल करने के लिए तेज गति से कदम उठाए जाएंगे।
- पगड़ी किरायदारों के न्यायोचित हितों की सुरक्षा करने के लिए हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
- 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेंहूँ का आटा गरीब परिवारों को मिलेगा।
- दिल्ली को पूरी तरह टैंकर मुक्त करने के लिए हम संकल्पित हैं। वर्ष 2024 तक हर घर नल से स्वच्छ पेयजल प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाएगा।
- दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा जिसके तहत दिल्ली में 2022 तक सभी को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
- 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज का लाभ देने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा।
- दिल्ली के छात्रों को आधुनिकतम शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा और स्वस्थ्य के बजट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- दिल्ली में 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल शुरू किये जाएंगे ।
- हम 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एक नयी "समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना" की शुरुआत करेंगे जिसके माध्यम से दिल्ली में बेहतर सड़क, फ्लाइओवर आदि बुनियादी ढाँचे का निर्माण प्राथमिकता और लक्षित रूप से किया जाएगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक परिवार की पहली 2 लड़कियों के जन्म के साथ उनके नाम से निश्चित राशि सरकार द्वारा खाते में जमा की जाएगी और उनके 21 साल के होने पर उन्हें 2 लाख रुपयों का लाभ मिलेगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहीं लड़कियों को हम निशुल्क साइकिल देंगे।

- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत कॉलेज में प्रवेश लेने वाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की छात्राओं को हम निशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे।
- गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सरकार 51 हजार रूपए का विशेष उपहार देगी।
- हम दिल्लीवासियों को कचरे के ढेरों से पूरी तरह से मुक्ति दिलाएंगे।
- हम अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे।
- युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हम एक समर्पित 'युवा कल्याण बोर्ड' का गठन करेंगे।
- महिलाओं के उत्थान और समुचित विकास की योजनाओं पर विमर्श करने और सुझाव देने हेतु हम एक विशेष 'महिला सशक्तिकरण मिशन बोर्ड' की स्थापना करेंगे।
- सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए 'आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया जाएगा।
- अति पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए हम एक अलग 'अति पिछड़ा वर्ग बोर्ड' का गठन करेंगे।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाने और उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु 'रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना' की शुरूआत की जाएगी।
- यमुना की स्वच्छ और निर्मल धारा को सुनिश्चित करने और उसके आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए दिल्ली यमुना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- यमुना नदी के धार्मिक महत्व को अधिक उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर 'यमुना महोत्सव' मनाया जाएगा।
- दिल्ली के अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एवं संस्थानों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की जॉब गारंटी मिलेगी।
- रेड़ी-पटरी वालों को नियमित करने के लिए तुरंत सर्वे किया जाएगा और उनको जीवन बीमा भी दिया जाएगा।
- दिल्ली के किसानों को 6000 रूपये की सम्मान निधि सीधे उनके खाते में दी जाएगी।
- 20- सूत्री कार्यक्रम के तहत दिए गए भूखंडों का मालिकाना हक़ दिया जाएगा।
- किसानों को अपनी ज़मीन के उपयोग और खरीद-बिक्री में आनेवाली समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 33 और धारा 81ए को भारत सरकार की सहायता से समाप्त किया जाएगा।
- कुम्हार, नाई, लोहार आदि जैसे कारीगरों/व्यवसायिकों के लिए आसान और सस्ते ऋण की व्यवस्था की जाएगी।
- दिल्ली के गुणी और प्रतिभावान छात्रों और युवाओं की 'टैलेंट हंट' (प्रतिभा शोध) कार्यक्रम के माध्यम से पहचान कर उनके गुणों का विकास किया जाएगा।
- हम झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवाले छात्रों के लिए जगह-जगह विशेष लाइब्रेरी की शुरूआत करेंगे।
- दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की बकाया राशि का केन्द्र के सहयोग से तुरंत भुगतान कराया जाएगा।
- 1984 के दंगों के दौरान कमाने वाले सदस्यों के मारे जाने वाले पीड़ितों के एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। दंगों में विधवा हुई महिलाओं की मासिक पेंशन 2500 रूपये से बढ़ाकर 3500 रूपये की जाएगी।
- सभी दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं एवं बुजुर्गों की मौजूदा पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी।

- ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के पुराने फ्लैट्स के समुचित विकास के लिए एक नीति बनाई जाएगी। इन फ्लैट्स का एफएआर बढ़ाया जाएगा और इस काम के लिए सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा ही कार्य, डीडीए फ्लैट्स के लिए भी किया जाएगा।
- मिक्स्ड लैंड यूज के अंतर्गत आने वाली दिल्ली की शेष 351 रोड को भी नोटिफाइ किया जाएगा ताकि इनके रखरखाव में आसानी हो सके।
- हम सभी पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देकर उनकी संपत्ति को फ्री होल्ड करने का काम प्राथमिकता से करेंगे।
- करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज सहित कुल 23 इलाकों की जीर्ण संपत्तियों और फ्लोर के अनुसार विभाजित 22,000 संपत्तियों को नाममात्र शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा, मालिकाना हक दिया जाएगा और फ्रीहोल्ड किया जाएगा।
- हम दिल्ली में सभी जलाशयों को प्रमुख पर्यटक आकर्षण केन्द्र बनाने की योजना बनाएंगे।
- पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे ज़ीरो टॉलरेंस का परिचय देते हुए केंद्र में भाजपा की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल विधेयक को लागू किया है। दिल्ली में भी यह हमारी प्राथमिकता रहेगी।
- युवाओं के लिए सभी रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उन्हें प्लेसमेन्ट एजेन्सी से भी अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा।
- प्रतिभावान छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने हेतु विशेष निधि उपलब्ध करायी जाएगी।
- महिलाओं एवं नव-युवतियों को पहली बार स्टार्टअप शुरू करने के लिए कैपिटल सब्सिडी और ब्याज पर सब्सिडी दे कर उनके बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- दिल्ली को 'स्टार्टअप सिटी' के रूप में विकसित करने और युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के विशेष 'स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड' सहित एक दूरदर्शी स्टार्टअप नीति, इनोवेटर्स के लिए को-वर्किंग स्पेस और इन्क्यूबेशन सेंटर जैसे लक्षित कदम उठाये जाएंगे।
- बच्चों में इनोवेशन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए केंद्र की सहायता से दिल्ली के स्कूलों में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किये जाएंगे।
- युवाओं में उन्नत कौशल विकसित कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने हेतु हम 'विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय' की स्थापना करेंगे। इस विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों के लिए 100% रोज़गार सुनिश्चित किया जाएगा।
- हम सरकार में आते ही दिल्ली के लिए एक नई खेल नीति बनाएंगे जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया की अवधारणा के अनुरूप होगी।
- दिल्ली के तेज़ आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु हम दिल्ली को विश्वस्तरीय 'सर्विसेस हब' के तौर पर विकसित करेंगे। इसके लिए एक विशेष योजना प्राथमिकता से लागू की जाएगी जिसके तहत पर्यटन, खुदरा व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा, मेडिकल टूरिज़्म एवं फैशन-लाइफ स्टाइल आदि सर्विसेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- दिल्ली को आधुनिकतम 'ऊर्जा प्रौद्योगिकी' में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने हेतु स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी (Green Energy Technology) कंपनियों के लिए 'ग्रीन इंडस्ट्री कॉरिडोर' स्थापित किया जाएगा।

- दिल्ली के तेज़ विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगमों के बीच उच्चतम समन्वय सुनिश्चित करने हेतु हम सभी कदम उठाएंगे। 'कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म' के आदर्श का पालन करते हुए दिल्ली के लोगों के बहुआयामी विकास के नए अवसर निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध है।
- घरों, कॉलोनियों, कार्यालयों और कारखानों में सौर पैनल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन सोलर पैनलों से निर्मित ऊर्जा को ग्रिड से जोड़कर बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और किफ़ायती ऊर्जा को सुनिश्चित किया जाएगा।
- आने वाले वर्षों में दिल्ली के घरों में पाइप से रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
- दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों एवं निम्न आय वर्ग के लिए बनाये गये कुल 52 हजार आवासों को प्राथमिकता से आवंटित किया जाएगा।
- दिल्ली में अनेक क्षेत्र हैं जो घोर उपेक्षित व अविकसित हैं। इन आकांक्षी क्षेत्रों को तेज़ गति से विकसित करने लिए एक विशेष योजना बनायी जाएगी।
- कामकाजी महिलाओं के लिए पर्याप्त और किफायती आवसीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्किंग विमेंस हॉस्टलों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के कल्याण के लिए हम एक व्यापार बोर्ड का गठन करेंगे। यह बोर्ड सभी आवश्यक लाइसेंस और स्वीकृतियों को सिंगल विंडो के माध्यम से दिलाने में मदद करेगा।
- पूरी दिल्ली में बिजली की लटकती तारों को भूमिगत करने का काम तेजी और प्राथमिकता से किया जाएगा।
- दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी प्रयास प्राथमिकता से किये जाएंगे।
- दिल्ली में प्रदूषण को कम करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पूरी दिल्ली में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट पोल के स्थान पर स्मार्ट पोल लगाये जाएंगे।
- हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में निराकरण किया जाए।
- दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर नियुक्ति की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कार्यरत कर्मचारियों की प्रोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।
- इच्छुक साइकिल रिक्शा चालकों के बीच ई-रिक्शा को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई जाएगी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- दिल्ली में बढ़ती नशे की लत चिंता का विषय बनी हुई है और इससे युवा वर्ग बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहा है। समाज को इससे मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी और उसे एक बृहद जनांदोलन के रूप में चलाया जाएगा।
- स्थानीय स्तर पर नियोजन, विकास एवं रख-रखाव में आर.डब्ल्यू.ए. की भूमिका को सशक्त किया जायेगा, उनके साथ सरकार का समन्वय बढ़ाया जायेगा और इस कार्य के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- 'स्वच्छ दिल्ली, सुन्दर दिल्ली' योजना को शुरू किया जाएगा जिसके अंतर्गत जन भागीदारी के द्वारा दिल्ली का सौन्दर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विषय - सूची

- प्रस्तावना 01
- 2022 तक सबको आवास 04
- आधुनिक सुविधाएँ और मालिकाना हक़ 05
- इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ़ लिविंग 06
- जल जीवन का संकल्प 07
- बेहतरीन कनेक्टिविटी 08
- आधुनिक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ 10
- शिक्षा के नवीनतम अवसर 13
- ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा से प्रकाशमान दिल्ली 15
- स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर दिल्ली 16
- दिल्ली की जीवनधारा - यमुना 19
- महिलाओं का सम्मान 20
- व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन 23
- युवा ऊर्जा का विकास 25
- खेल प्रतिभा को बढ़ावा 27
- प्रभावी सुशासन से विकास 28
- दिल्ली नगर निगमों से समन्वय 30
- कानून और न्याय के लिए कदम 31
- पर्यटन और धरोहर का संवर्धन 32
- प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली 34
- ग्रामीण और कृषि विकास पर ध्यान 35
- सभी वर्गों का लक्षित कल्याण 37
- दिल्ली में बसे पूर्वोत्तर राज्यों के लोग 40
- 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय 40
- सरकारी कर्मचारी के हितों की रक्षा 41
- मीडिया के लिए सुविधाएँ 42
- ट्रांसजेन्डर का उत्थान 43
- सम्मानजनक अंतिम संस्कार व्यवस्था 44
- विविध 45

प्रस्तावना

2014 में और फिर 2019 में आपका मजबूत जनादेश प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इन छह वर्षों में, केंद्र में भाजपा सरकार ने देश को विकास के फ़ास्ट ट्रैक पर लाया है, लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया है और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समृद्ध भविष्य की नींव तैयार की है। हमारे द्वारा देश में लाए गए इस परिवर्तन का स्तर, गति और दायरा अभूतपूर्व है। हमने स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावी और संवेदनशील शासन का एक नया मापदंड स्थापित किया है जिसके कारण देश और इसके लोगों के लिए यह सकारात्मक बदलाव संभव हुआ है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूलमंत्र को हमने पूरी तरह साकार करने का प्रयास किया है। हमारी हर योजना और पहल के साथ हमने प्रधानमंत्री मोदी के 'न्यू इंडिया' सपने को उत्तरोत्तर हासिल किया है। हम समर्पित और दृढ़ प्रयासों के साथ इस मार्ग पर और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पिछले छह वर्षों के दौरान, हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि दिल्ली, देश के साथ-साथ गति से बढ़े और एक उभरती वैश्विक शक्ति की राजधानी के रूप में उसका स्थान मजबूत हो। दिल्ली के लोगों के लिए समग्र और व्यापक तरीके से जीवन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हमने समर्पित रूप से काम किया है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि दिल्ली के लिए हमारी योजनाओं और कार्यों का 'ईज ऑफ़ लिविंग' मूलाधार रहे। पिछले छह वर्षों में, हमने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से पूरा किया है जो न केवल भीड़भाड़ जैसे वर्तमान मुद्दों को हल करे, बल्कि दिल्ली को आने वाले समय की ज़रूरतों के लिए भी सज्जित करे। हमने उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है, ताकि दिल्ली के लोग नवीनतम अवसरों और बृहद आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम हों। लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर संवेदनशीलता दर्शाते हुए हमने कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने दिल्ली को सुरक्षित, बेहतर और समृद्ध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने समावेशी विकास को सविचार समर्पण के माध्यम से सुनिश्चित किया है। हमारी व्यापक पहलों के माध्यम से हमने शहर की विरासत को संजोया है और साथ ही, इसे भविष्य के लिए तैयार किया है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने दिल्ली और दिल्ली के सभी वर्गों के लिए बहुत कुछ हासिल किया है।

दिल्ली की जनता जानती है कि प्रदेश में आप सरकार के टकराव भरे रवैये के बावजूद पिछले वर्षों में हम इन उपलब्धियों को सुनिश्चित करने में कामयाब रहे हैं। आप सरकार ने अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए हमारी सभी जनकल्याण की पहलों को बाधित करने की कोशिश की और दिल्ली के लोगों को उनके लाभ से वंचित रखा। आप सरकार की अवरोध की रणनीति के कारण 'आयुष्मान भारत' जैसी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहलों, जिनका अन्य राज्यों के लोगों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है, से दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा। आप सरकार के इस व्यवहार के बावजूद, हमने दिल्ली के लोगों के लिए दृढ़ निश्चय से काम किया है और उनके बेहतर कल के सपने को पूरा करने का प्रयास किया है।

हमारा ठोस कार्य, दिल्ली और इसके लोगों की प्रगति के प्रति हमारी ईमानदारी और प्रतिबद्धता की गवाही देता है। हमारे अच्छे इरादों और आप सरकार के राजनीतिक अवसरवाद के बीच का फ़र्क़ दिल्ली के लोगों के लिए स्पष्ट है। लोकसभा चुनावों में दिल्ली के लोगों द्वारा भाजपा पर जताया गया पूर्ण विश्वास लोगों की पसंद को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबत करता है। दिल्ली के तेज़ विकास का एकमात्र विकल्प, केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार का "डबल इंजन" है। भाजपा दिल्ली के लिए असीम संभावनाओं को सुनिश्चित कर समृद्धि और अवसरों के नए युग में दिल्ली को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। हमें विश्वास है कि दिल्ली के लोगों ने हमें प्रदेश का शासन सौंपने का मन बना लिया है, ताकि दिल्ली के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को तेजी से साकार किया जा सके।

हम पूर्ण इरादों, प्रयासों और संसाधनों के साथ इस पावन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हैं और इस उद्देश्य के साथ, हमने दिल्ली के लिए लोगों के सपनों को एकत्रित करने के लिए "मेरी दिल्ली, मेरा सुझाव" अभियान शुरू किया था। इस 15 दिवसीय संपर्क अभियान के माध्यम से हमने दिल्ली में लाखों नागरिकों के साथ संवाद किया और विभिन्न माध्यमों से 11 लाख से अधिक लोगों के सुझाव एकत्रित किए। इस शहर के लिए लोगों के सपनों को चित्रित करने वाले यह सुझाव, हमारे उस विज़न का मुख्य हिस्सा हैं, जो आज हम आपके सामने पेश करते हैं।

हमारा विज़न उन संकल्पनाओं, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है जिन्हें लोग दिल्ली के लिए संजोते हैं। यह दिल्ली की प्रगति का वह मार्ग है जिसपर लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। यह एक ऐसे समृद्ध भविष्य का वर्णन है जिसे लोग परिकल्पित करते हैं। यह सबसे बड़े हितधारकों - दिल्ली के लोगों द्वारा दिल्ली के लिए तैयार की गई योजना है। हम दिल्ली के लोगों के इन सपनों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के सफर में उनके साथ खड़े हैं और यह संकल्प पत्र उस सफर को शीघ्र और प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए हमारा रोडमैप है।

आज इस संकल्प पत्र के माध्यम से, दिल्ली को एक विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजधानी, जो न्यू इंडिया की आकांक्षाओं और अवसरों का प्रतिनिधित्व करे, उसे बनाने के हमारे संकल्प को प्रस्तुत कर रहे हैं । हम एक ऐसी दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आधुनिक, समृद्ध और जीवंत हो। हम दिल्ली के निवासियों के लिए प्रगति के अधिकतम अवसर और उच्चतम 'ईज ऑफ़ लिविंग' सुनिश्चित करेंगे । हम भविष्य की सभी संभावनाओं और अपने अतीत के पूर्ण गौरव से परिपूर्ण दिल्ली बनाएंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली के सभी नागरिकों को, वर्ग, जाति, धर्म और लिंग की रुकावट के बिना, अपने लिए बेहतर जीवन बनाने का अवसर मिले। हम यह सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य समझते हैं कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं का पोषण, प्रोत्साहन और समर्थन करे।

अगले पांच वर्षों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रगति के सभी अवसरों का लाभ उठाया जाए और दिल्ली अपने इतिहास में सबसे तेज़ विकास का अनुभव करे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली अन्य राज्यों का सकारात्मक नेतृत्व करे और प्रगति के नए मानक तय करे। महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, मजदूरों, झुग्गी-वासियों और दिल्ली में रहने वाले अन्य सभी लोगों को उनके सपने पूर्ण करने हेतु एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण का निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ।

अगले पांच वर्षों में, हम इस संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए हर पल काम करेंगे। अपने अनुभव, दृढ़ संकल्प और समर्पण का उपयोग कर दिल्ली के लोगों द्वारा हमें बताए गए दिल्ली के लिए उनके सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग इस प्रयास में हमारा समर्थन करेंगे और हमें इन संकल्पों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ, हम आपके सामने एक विश्वस्तरीय और आधुनिक दिल्ली के लिए अपना विज़न प्रस्तुत करते हैं जिसका उद्देश्य सुशासन, प्रौद्योगिकी और भागीदारी के माध्यम से कायाकल्प करना है और जो 'इज ऑफ़ लिविंग' के आदर्श पर आधारित है।

दिल्ली को विश्वस्तरीय राजधानी और आधुनिक नगर बनाने का संकल्प

सुशासन, प्रौद्योगिकी और जन-भागीदारी के माध्यम से कायाकल्प

सुखद भविष्य के लिए आधारभूत ढांचा

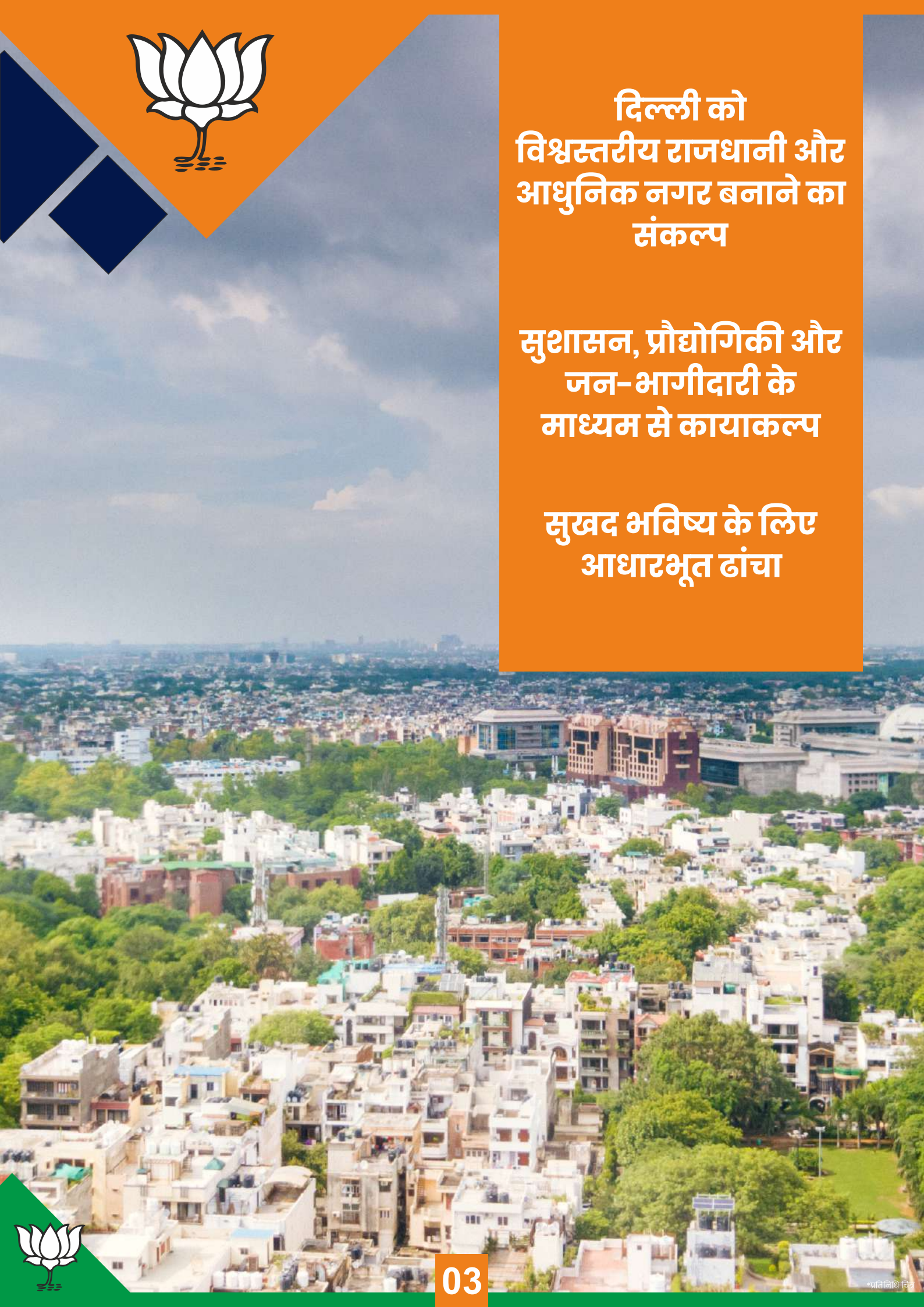

*प्रतिनिधि चित्र

01

*प्रतिनिधि चित्र

2022 तक सबको आवास

01 '2022 तक सबको आवास' के श्री नरेन्द्र मोदी के मिशन के तहत दिल्ली में भी हम 2022 तक सभी को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

02 दिल्ली की वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू न करके आवासरहित ज़रूरतमंद लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। हम प्रदेश सरकार के माध्यम से इस योजना को तुरंत लागू करके लोगों को अपने हक़ का आवास उपलब्ध कराएंगे।

03 निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आधुनिक तकनीक से बने सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इसके लिए उन्हें उदार ब्याज दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

04 दिल्ली में सभी झुग्गी-बस्तियों का विकास किया जायेगा और 'जहां झुग्गी, वहां मकान' के तहत झुग्गीवासियों को सभी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान स्थायी रूप से दिया जायेगा। इससे झुग्गी में रहनेवाले लोगों को 2 कमरों का फ्लैट, जिसकी बाज़ार में कीमत रू. 15 लाख है, पर मालिकाना हक़ मिलेगा। उचित नियोजन और विकास के माध्यम से दिल्ली को झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा।

05 हम कटरों के रख-रखाव के लिए विशेष प्रावधान करेंगे और कटरों में रहने वालों को मालिकाना हक़ देंगे।

06 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में पुराने फ्लैट्स के री-डेवलपमेन्ट में सोसायटियों को सहयोग करने हेतु सरकार एक नीति बनाएगी। इन फ्लैट्स का एफएआर भी बढ़ाया जाएगा और इस प्रक्रिया के लिए 90 दिन के अंदर सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा ही कार्य, डीडीए फ्लैट्स के लिए भी किया जाएगा।

07 डीडीए द्वारा बनाए गए आवासों का आवंटन तेज़ गति से किया जाएगा। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों एवं निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए कुल 52,000 आवासों को प्राथमिकता से आवंटित किया जाएगा।

08 दिल्ली में आवास निर्माण के कार्य को गति देने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।

02

आधुनिक सुविधाएँ और मालिकाना हक़

01 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने के बाद इन कॉलोनियों में प्राथमिकता से स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, अस्पताल, सड़क, नाली, सीवर आदि जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए एक विशेष 'कालोनीज़ डेवलपमेन्ट बोर्ड' का गठन किया जाएगा।

02 हम सभी पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देकर उनकी संपत्ति को फ्री होल्ड करने का काम प्राथमिकता से करेंगे।

03 करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज सहित कुल 23 इलाकों की जीर्ण संपत्तियों और फ्लोर के अनुसार विभाजित 22,000 संपत्तियों को नाममात्र डैमेज चार्जेज लेकर नियमित किया जाएगा, मालिकाना हक दिया जाएगा और फ्री होल्ड किया जाएगा।

04 सेल्फ अलॉटमेंट सोसाइटियों के एनओसी के प्रश्न को हल करने के लिए तेज गति से कदम उठाये जाएंगे।

05 हम पगड़ी किरायदारों के न्यायोचित हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

06 डी.डी.ए. और एल.एंड.डी.ओ के संपत्तियों के सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और उनकी सत्यापित कॉपी न्यूनतम शुल्क के भुगतान पर 3 दिन में प्रदान की जाएगी।

03

इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ़ लिविंग

01 हम 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एक नयी "समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना" की शुरुआत करेंगे, जिसके माध्यम से दिल्ली में 'ईज ऑफ़ लिविंग' को बेहतर करने हेतु जरूरी सड़क, फ्लाइओवर, फुटओवर ब्रिज आदि बुनियादी ढाँचे का निर्माण प्राथमिकता और लक्षित रूप से किया जाएगा।

02 दिल्ली में अनेक क्षेत्र हैं जो घोर उपेक्षित व अविकसित हैं। इन आकांक्षी क्षेत्रों को तेज़ गति से विकसित करने लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी।

03 भीड़-भाड़ वाले चौराहों को फ्लाइओवरों द्वारा आपस में जोड़ा जाएगा एवं पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु स्थान-स्थान पर अत्याधुनिक फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।

04 जाम से मुक्ति हेतु रेलवे क्रासिंग पर अंडरपास तथा ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

05 सुंदर व ग्रीन पेडेस्ट्रियन वॉक-वेज़ का पूरी दिल्ली में विस्तार किया जाएगा। दिल्ली की सभी सड़कों पर पैदल पथों का व्यापक सुधार एवं विकास किया जाएगा।

06 साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए साइकिल पथ का निर्माण एवं साइकिल-वेज़ को चिन्हित किया जाएगा।

07 दिल्ली के गोल चक्करों के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सोलर ट्री/सोलर लोटस लागाए जाएंगे, जिनसे उत्पन्न बिजली वहां की आवश्यकता पूरी करेगी और बची हुई बिजली ग्रिड में दी जाएगी।

08 नज़फ़गढ़, नरेला, बवाना तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान सड़कों को और बेहतर बनाएंगे तथा नई आवश्यक सड़कों का निर्माण करेंगे।

09 दिल्ली में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट पोल के स्थान पर स्मार्ट पोल लगाए जाएंगे, जो सौर ऊर्जा पैनल, सीसीटीवी, वाई-फाई और पर्यावरण मीटर से लैस होंगे।

10 पूरी दिल्ली में बिजली की लटकती तारों को भूमिगत करने का काम तेजी और प्राथमिकता से किया जाएगा।

11 आने वाले वर्षों में दिल्ली के घरों में पाइप से रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

12 मिक्स्ड लैंड यूज के अंतर्गत आने वाली दिल्ली की शेष 351 रोड को भी नोटिफ़ाई किया जाएगा ताकि इनके रखरखाव में आसानी हो सके।

04

जल जीवन का संकल्प

01 दिल्ली को पूरी तरह टैंकर मुक्त करने के लिए हम संकल्पित हैं। वर्ष 2024 तक हर घर नल से स्वच्छ पेयजल प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जायेगा। हम यह काम पूर्ण करने के लिए समर्पित प्रयास करेंगे और दिल्ली के लोगों को पानी की किल्लत और दूषित पानी से मुक्ति दिलाएंगे।

02 दिल्ली में पानी की शुद्धता और गुणवत्ता को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सभी जरूरी कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे।

03 वर्षा जल संचयन को सरकारी सहायता के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा और सभी सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन का व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।

04 हम आवासीय सोसायटियों तथा होटलों में वेस्ट वॉटर रिसाइकलिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना बनाएंगे जिससे रिसाइकल किया हुआ पानी बगीचों तथा शौचालयों के लिए उपयोग करना संभव होगा।

05 हिमाचल प्रदेश में रेणुका डैम बनवाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। इस बांध के निर्माण से दिल्ली को पानी मिलेगा।

06 दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता को बढ़ाने और उसे प्रभावी सेवा प्रदाता बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा।

07 प्रमुख मार्केट एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वॉटर एटीएम लगाए जाएंगे।

05

*प्रतिनिधि चित्र

बेहतरीन कनेक्टिविटी

01 दिल्लीवासियों को और भी व्यापक मेट्रो व्यवस्था का लाभ पहुँचाने के लिए मेट्रो के चौथे चरण की तीन निर्माणाधीन लाइनों के कार्य में तेजी लायी जाएगी और शेष तीन लाइनों को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी।

02 दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में 10,000 अत्याधुनिक ग्रीन बसें जोड़ी जाएंगी।

03 बेहतरीन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी बसों के रूटों की व्यापक समीक्षा की जाएगी और रात्रि में डीटीसी बसों के प्रचालन में वृद्धि की जाएगी।

04 डीटीसी के अंतर्गत बड़ी संख्या में महिला स्पेशल बसें चलायी जाएंगी।

05 कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के आवागमन हेतु पर्याप्त संख्या में यू-स्पेशल बसें चलायी जाएंगी।

06 दिल्ली को एनसीआर सेटेलाइट टाउन से जोड़ने के लिए विशेष मेट्रो/रेल एवं डीटीसी बस सेवा सुदृढ़ की जाएगी।

07 डीटीसी के तहत डबल डेकर, एअर कंडीशन, वीडियो एवं वाई-फाई युक्त बसें चालू की जाएंगी।

08 सार्वजनिक परिवहन के वाहनों और स्टेशन/स्टॉप्स पर निःशुल्क वाई-फाई सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।

09 यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो रेल, डीटीसी बसों और मेट्रो फीडर बसों में एक ही स्मार्ट कार्ड आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।

10 सभी फीडर सेवाओं में वृद्धि की जाएगी।

11 सभी अंतर्राज्यीय एवं अंतरनगरीय बस टर्मिनलों को हाइटेक किया जाएगा एवं यात्रियों की सुविधा के लिए फूड कोर्ट और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

12 दिल्ली में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

13 पूरी दिल्ली में पीपीपी मॉडल पर मल्टी स्टोरी स्मार्ट पार्किंग का विकास और विस्तार किया जाएगा।

14 उबर और ओला के किराये को नियंत्रित करने हेतु सभी हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

15 जिन ऑटोचालकों के ऑटो 15 वर्ष से पुराने हो गए हैं, उन्हें नए ऑटो की खरीद पर रियायत दी जाएगी।

16 हम ऑटोरिक्शा चालकों को ई.एस.आई. का लाभ दिलवाएंगे।

17 लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु ई-रिक्शा के लिए एक नीति बनायी जाएगी, जिसके अंतर्गत ई-रिक्शा चालकों एवं यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा दुर्घटना की आशंकाएं दूर की जा सके।

18 ई-रिक्शा फिटनेस का नवीकरण वर्तमान में एक वर्ष बाद किया जाता है, इसे हम 3 वर्ष के उपरांत निःशुल्क कराने का प्रावधान करेंगे।

19 ई-रिक्शा को सोलर ऊर्जा से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

20 ई-रिक्शा चालकों के लिए बीमा पॉलिसी का भी प्रावधान किया जाएगा।

21 दिल्ली में लगभग 200 किलोमीटर के विशेष साइकिल वॉक ट्रैक के विकास कार्य को जल्द पूर्ण किया जाएगा।

*प्रतिनिधि चित्र

06

आधुनिक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ

01 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत में प्रारंभ की गयी 'आयुष्मान भारत योजना' को दिल्ली में लागू किया जाएगा, ताकि दिल्ली के लोगों को भी 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके।

02 दिल्लीवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हम स्वास्थ्य के बजट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे।

03 हमारे हेल्थ केयर विजन का फोकस बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की प्रोन्नति, स्वास्थ्य रक्षा एवं अत्याधुनिक उपचार होगा।

04 'सबके लिए स्वास्थ्य' का सपना साकार करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर उन्हें अत्याधुनिक बनाया जाएगा, ताकि लोगों को 21वीं शताब्दी की स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके।

05 सरकारी अस्पतालों में भर्ती किए जाने वाले मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी एवं अस्पतालों में रात्रिकालीन स्वास्थ्य सुविधाएँ उत्तम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा।

06 100 से 150 बेड वाले प्रत्येक सरकारी अस्पताल में सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

07 अस्पतालों में ओ.पी.डी. सेवाओं का समुचित विस्तार किया जाएगा।

08 सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रविवार को विशेष ओ.पी.डी. (संडे क्लीनिक) की व्यवस्था की जाएगी।

09 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत पूरी दिल्ली में 400 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में शिशु जन्म, नवजात शिशु के स्वास्थ्य, बाल और किशोर स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों का प्रबंधन, गैर-संक्रामक रोगों की स्क्रीनिंग, बचाव और नियंत्रण, नेत्र और ई.एन.टी. रोगों का उपचार, मानसिक और दंत रोगों की चिकित्सा आदि सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

10 प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का आधुनिकीकरण करके अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएंगी।

11 निम्न आय वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने हेतु अत्याधुनिक सचल स्वास्थ्य केन्द्र विकसित किए जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, जांच, उपचार एवं रेफरल की व्यवस्था होगी।

12 दिल्ली में बड़ी संख्या में जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे।

13 डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से होनेवाली मौतों को रोकने और इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए 'मिशन जीरो' के तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता, बचाव और उपचार के कदम मिशन मोड पर उठाए जाएंगे।

16 दिल्ली में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अस्पतालों में पी.आई.सी.यू. की संख्या बढ़ाई जाएगी।

17 दिल्ली सरकार के मातृ एवं शिशु केन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जाएगी और इन केन्द्रों में नवजात शिशुओं के तुरंत उपचार की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

18 टीकाकरण के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि हर बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके। हमारा उद्देश्य है कि 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर, दिल्ली पूरे देश के लिए एक मॉडल बने।

19 पांच वर्ष तक के बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास को सुरक्षित करने के लिए 'चाइल्डहुड ब्लड लेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा।

14 जिस प्रकार भारत सरकार ने पोलियो का उन्मूलन किया है, उसी तरह हम टी.बी., कुष्ठ रोग, एनीमिया, मीजल्स, मलेरिया, हुकवर्म संक्रमण, दिमागी बुखार, फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे।

15 महिला और शिशु कल्याण से संबंधित विषयों को मिशन मोड में रखा जाएगा, ताकि इनसे संबंधित योजनाओं का कार्यान्वियन तेजी से किया जा सके और योजनाओं का लाभ महिलाओं एवं शिशुओं तक पहुंच सके।

20 मोतियाबिन्द के बढ़ते मरीजों के मद्देनज़र अस्पतालों में आधारभूत ढांचा और सुविधाएं बढ़ाकर बिना लंबी प्रतीक्षा के मरीजों के शीघ्र ऑपरेशन करवाए जाएंगे।

21 दिल्ली में भाजपा सरकार ने मोतियाबिन्द मुक्त दिल्ली, श्रवण शक्ति अभियान, मातृ सुरक्षा अभियान, विशेष टीकाकरण अभियान आदि शुरू किए थे। इन सबको हम आंदोलन के रूप में पुनः प्रारम्भ करेंगे।

22 कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष तौर पर गरीब बस्तियों में मोबाइल कैंसर वैन भेजकर वहाँ कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

23 युवाओं में बढ़ती नशावृत्ति को देखते हुए अनेक नशा मुक्ति व पुनर्वास केन्द्र खोले जाएंगे जिनमें मनोरोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।

24 व्यावसायिक कार्यस्थल एवं पर्यावरण के कारण उत्पन्न रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए सभी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

25 आरोग्य गतिविधियों में आर.डब्ल्यू.ए. के प्रतिनिधियों को शामिल कर आरोग्य समितियां बनायी जाएंगी। आरोग्य केंद्रों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए इन समितियों को अनुदान दिया जाएगा।

26 दिल्लीवासियों के लिए वर्ष में एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए, हर दिल्लीवासी का एक स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, जिसमें जांच का रिकार्ड पूरी तरह डिजिटलाइज होगा। यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का अंग होगा। साथ ही, स्कूलों में हर साल एक बार चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे।

27 एंबुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि ज़रूरतमंद को शीघ्र एंबुलेंस उपलब्ध कराके मरीज़ों के जीवन की रक्षा की जा सके।

28 चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेद संस्थान, नज़फ़गढ़ के उप-केन्द्र दिल्ली के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में खोले जाएंगे।

29 हेल्थ केयर, शोध एवं विकास के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की स्थापना की जाएगी ताकि एक ही छत के नीचे एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक पद्धतियों के समन्वय से इलाज किया जा सके।

30 दिल्ली में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान खोला जाएगा। होम्योपैथी में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।

31 तिब्बिया कॉलेज को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

32 नए अस्पतालों का निर्माण ग्रीन अस्पताल की अवधारणा के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान अस्पतालों में ग्रीन अस्पताल की अवधारणा की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रीन अस्पताल के अंतर्गत सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचय, प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था, ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग, पानी की रिसाइक्लिंग, हर प्रकार के कचरे का शत-प्रतिशत निपटान, पर्याप्त हरियाली की व्यवस्था शामिल होगी।

33 दिल्ली में आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए नई सुविधाएं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, ब्लॉक चेन, क्लाउड कम्प्यूटिंग, रोबोटिक्स, टेलीमेडिसिन, हेल्थ वैरियेबल, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स एवं जीन थेरेपी के प्रयोग द्वारा सभी को प्रिसिशन स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

07

शिक्षा के नवीनतम अवसर

01 दिल्ली के छात्रों को आधुनिकतम शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे और इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, इसके लिए शिक्षा बजट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

02 दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और उसके मुकाबले स्कूलों की पर्याप्त संख्या न होने के मद्देनज़र 200 नए स्कूल खोले जाएंगे, जिससे सर्व शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इसके अलावा, 'नेबरहुड स्कूल' की अवधारणा भी साकार की जाएगी।

03 ग्रामीण क्षेत्रों में नए कन्या विद्यालयों और महाविद्यालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

04 दिल्ली में प्रतिभा विकास विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रतिभा विकास विद्यालय की अवधारणा को दिल्ली में बनी भाजपा सरकार ने कार्यरूप दिया था। इन विद्यालयों में बच्चों का, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ, सर्वांगीण विकास किया जाता है।

05 दिल्ली में 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे और नए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रारंभ किए जायेंगे ताकि सभी छात्रों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके।

06 दिल्ली के विद्यार्थियों को नई प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी संस्थान खोला जाएगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा, थ्री डी, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्प्यूटिंग की शिक्षा प्रदान की जाएगी।

07 दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के लिए नए हॉस्टल बनाने की नीति तैयार करेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नई और आधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रावास बनाए जाएंगे।

08 शिक्षा के अधिकार को प्रभावी और सशक्त रूप से लागू किया जाएगा।

09 दिल्ली में राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्रों को केन्द्र सरकार द्वारा एक हजार रुपये प्रतिमाह वजीफ़ा दिया जाता है। हम इस राशि में वृद्धि कर दिल्ली सरकार की ओर से एक हजार रुपये अतिरिक्त देंगे।

10 गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और ब्याज दरें उदार बनायी जाएंगी।

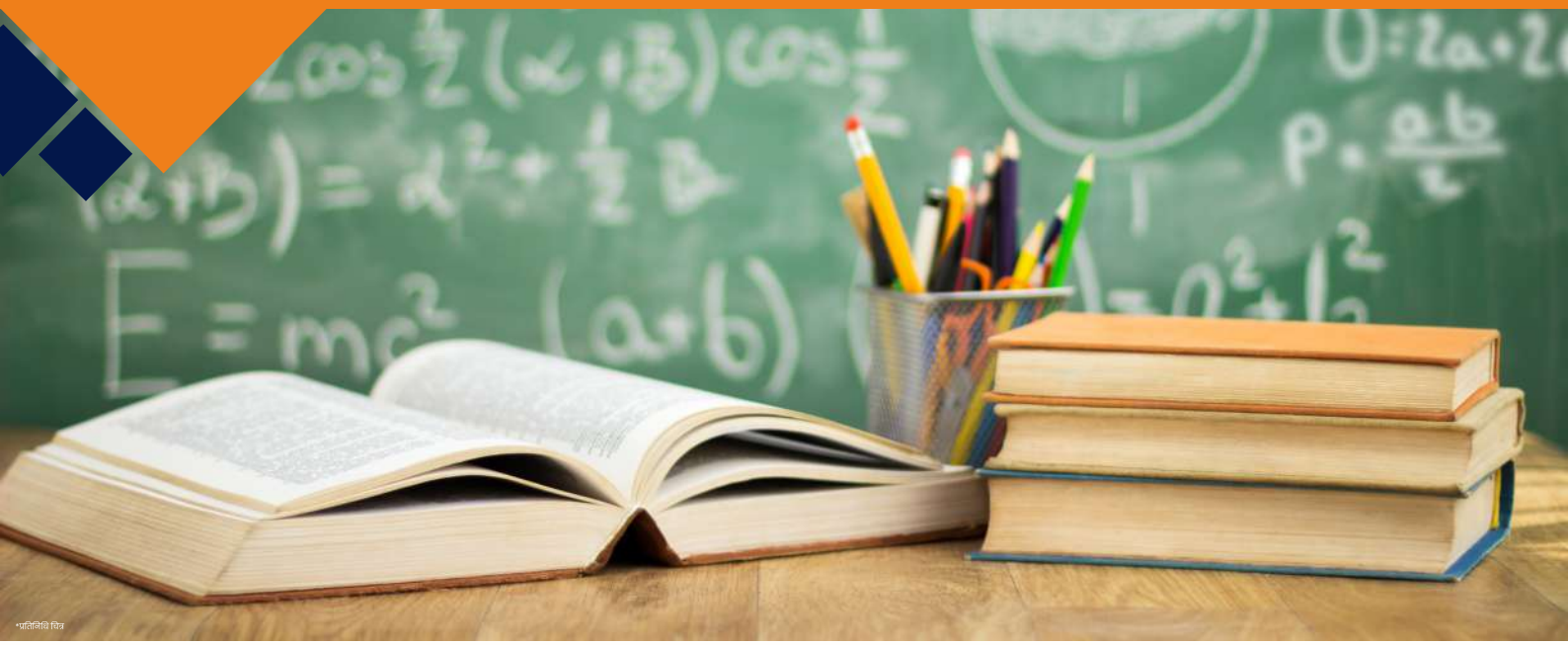

*प्रतिनिधि चित्र

11 झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवाले छात्रों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु हम जगह-जगह विशेष लाइब्रेरी की शुरुआत करेंगे।

12 दिल्ली के गुणी और प्रतिभावान छात्रों और युवाओं की 'टैलेंट हंट' (प्रतिभा शोध) कार्यक्रम के माध्यम से पहचान कर उनके गुणों का विकास किया जाएगा।

13 दिल्ली में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही, आंगनवाड़ियों के तहत प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

14 कक्षा 8 से विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पाठ्यक्रम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

15 स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार एक या दो खेल के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें जिला एवं राज्यस्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा।

16 दिल्ली में संस्कृत बोर्ड का गठन किया जाएगा।

17 हम भारत वैभव अनुष्ठान के अंतर्गत विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के माध्यम से संस्कृत की शिक्षा प्रदान करने की पुनः शुरुआत करेंगे।

18 साहित्य के पाठ्यक्रमों में आंचलिक भाषाओं और उनके साहित्य का समावेश किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं सीखने का विकल्प दिया जाएगा।

19 स्कूल पाठ्यक्रम में उद्यमशीलता की जानकारी शामिल की जाएगी ताकि विद्यार्थी पढ़ाई समाप्त करने के उपरांत उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकें।

20 स्कूलों में योग, सकारात्मक स्वास्थ्य एवं मूल्य आधारित शिक्षा और मेडिटेशन पर बल दिया जाएगा।

21 विद्यालयों में पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प में प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

22 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कला, संस्कृति, फिल्म, कृषि विज्ञान, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा आदि के कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे।

23 बच्चों में इनोवेशन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए केंद्र की सहायता से दिल्ली के स्कूलों में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे।

24 दिव्यांग बच्चों के विद्यालयों को उन्नत बनाया जाएगा तथा ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

25 एससीईआरटी की भूमिका को बृहद और प्रभावी बनाया जाएगा।

26 स्कूलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र आवश्यक संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा तथा तेजी से शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे।

27 शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया से होगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।

28 सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा शर्तों एवं वेतन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांगों पर विचार और निर्णय किया जाएगा।

29 सभी आंगनवाड़ी वर्करों, आंगनवाड़ी हेल्परों और सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे कुक एवं हेल्परों के लिए मुफ्त जीवन और दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

08

ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा से प्रकाशमान दिल्ली

01 बिजली की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिल्ली की बिजली ग्रिड को स्मार्ट बनाया जाएगा।

02 बिजली कंपनियों का वार्षिक ऑडिट कराया जाएगा।

03 दिल्ली में अक्षय ऊर्जा, विशेषकर सोलर ऊर्जा, को बढ़ावा देकर ऊर्जा में स्वालंबन और पर्यावरण के संरक्षण का कार्य हम करेंगे।

04 दिल्ली में घरों, कॉलोनियों, कार्यालयों और कारखानों में सौर पैनल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सोलर पैनलों से निर्मित ऊर्जा को ग्रिड से जोड़कर बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और किफ़ायती ऊर्जा को सुनिश्चित किया जाएगा।

05 हम पुराने वाटर बूस्टर पम्पों को सोलर ग्रिड पंप में बदलेंगे और साथ ही, स्ट्रीट लाइट पोल के स्थान पर सौर ऊर्जा पर आधारित स्मार्ट पोल लगाएंगे।

06 झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टर के निवासियों के घरों में सूर्य ज्योति-डोम के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

09

स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर दिल्ली

प्रदूषण

01 हम जल, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए समयबद्ध तरीके से काम के लिए मिशन मोड पर विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे।

02 दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी प्रयास प्राथमिकता से किए जाएंगे।

03 प्रदूषित हवा शुद्ध करने के लिए दिल्ली के प्रदूषित चौराहों पर वायु (WAYU) नामक उपकरण लगाए जाएंगे और साथ ही, नेशनल इन्वायरनमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) की सहायता से पूरी दिल्ली में एअर प्यूरीफायर टॉवर लगाए जाएंगे।

04 सार्वजनिक परिवहन की बसों की छत पर 'परियंत्र' नामक उपकरण लगाए जाएंगे जो हवा को शुद्ध करते रहेंगे।

05 धूल से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए व्यस्त प्रमुख मार्गों पर मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को बढ़ाया जाएगा और नियमित रूप से पानी टैंकरों से जल छिड़काव किया जाएगा ताकि वातावरण में धूल मिश्रित न हो सके।

06 कचरे, पत्तों और बायोमास को जलाना तथा धूल से होनेवाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों के बीच विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

07 पेट्रोल और डीजल के वाहनों का इस्तेमाल कम करने पर जोर दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को हर तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

08 दिल्ली में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिन्हें विशेष रूप से पेट्रोल पंप, मेट्रो स्टेशन एवं शॉपिंग कॉम्पलैक्स पर बनाया जाएगा।

09 सार्वजनिक परिवहन को उन्नत और सुविधाजनक बनाया जाएगा ताकि लोग निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें।

10 स्कूलों में बच्चों एवं जन-सामान्य की स्वास्थ्य रक्षा के लिए ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचाव हेतु अवरोधक (Barriers) लगाए जाएंगे।

11 सभी पेट्रोल पंपों पर बेन्जिन (Benzene) प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिससे कैंसर होता है। इसके समाधान के लिए वेपर रिकवरी सिस्टम लगाए जाएंगे।

12 भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कचरा प्रबंधन, धूल नियंत्रण, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन आदि के लिए बनाई गयी नीतियों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

13 प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रीन सेस के अंतर्गत जमा राशि का पूरा उपयोग किया जाएगा।

पर्यावरण

01 वन भूमि और रिज एरिया के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए उपाय एवं कदम उठाए जाएंगे और दिल्ली की ग्रीन कवर को बढ़ाया जाएगा।

02 दिल्ली में वृक्षारोपण और वनीकरण का व्यापक अभियान चलाया जाएगा और इन अभियानों में औषधीय एवं फलदार वृक्ष लगाने पर जोर दिया जाएगा।

03 दिल्ली में दो रिज और 508 जलाशय हैं। इन जलाशयों में से अनेक विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे जलाशयों का वैज्ञानिक तरीके से पुनरुद्धार किया जाएगा।

04 सभी पार्कों में रेन वॉटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था लागू करवायी जाएगी।

05 हरित कचरे से कंपोस्ट बनाने के लिए आर.डब्ल्यू.ए. का सहयोग लिया जाएगा। इस तैयार कंपोस्ट का इस्तेमाल पार्कों में किया जा सकेगा।

स्वच्छता और वेस्ट सेग्रेगेशन

01 हम दिल्लीवासियों को कचरे के ढेरों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए पहले दिन से युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे।

02 स्वच्छता के कार्य में खामियों को दूर करने के लिए हम दिल्ली सैनिटेशन टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो कचरा प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छता के कार्य को अधिक प्रभावी बनाएगा और स्वच्छता के कार्य में संलग्न नगर निगमों तथा अन्य शहरी निकायों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

03 दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और स्थानीय निकाय मिलकर हर प्रकार के कचरे के प्रबंधन की व्यापक योजना बनाएगी।

04 घरों, बाजारों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकले कचरे के अधिकतम सेग्रीगेशन यानी की ठोस, गीले, बायो, ई-वेस्ट, मेडिकल वेस्ट में अलग-अलग करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि कचरा प्रबंधन और निपटान आसान हो सके।

05 दिल्ली को ई-वेस्ट के निपटान के लिए विश्वस्तरीय मॉडल शहर बनाया जाएगा।

06 लैण्ड फिल साइट (गाजीपुर, भलस्वा और ओखला) के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए नई वैश्विक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वेस्ट टु वेल्थ और संसाधन सृजन के काम को बढ़ावा दिया जाएगा।

07 दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक टायलेट कॉम्प्लेक्सों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन कॉम्प्लेक्सों में बेबी फीडिंग, सैनिटरी नैपकिन एटीएम, इस्तेमाल किए सेनिटरी नैपकिन के निस्तारण के अलावा, टायलेट के बाहर वॉटर एटीएम जैसी विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएंगी।

सीवेज सिस्टम

01 दिल्ली की सभी कालोनियों के प्रत्येक घर को सीवर सिस्टम से पांच वर्ष में जोड़ा जाएगा।

02 विकसित टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीवेज प्रणाली का आधुनिकीकरण करके उसे अनुकूल और बेहतर बनाया जाएगा।

03 हम बंद पड़े सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) को चालू करेंगे और आवश्यकतानुसार नए एस.टी.पी. लगाएंगे।

04 सीवर की सफाई के लिए कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

05 नई दिल्ली पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों की तरह नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों एवं सीवेज कर्मचारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने की व्यवस्था की जाएगी।

प्लास्टिक

01 सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक के कम उपयोग, रीसाइक्लिंग और पुनर्प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

02 प्लास्टिक कचरे को जमा कराने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

03 'वेस्ट टु वेल्थ' को साकार करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट से ईंधन (fuel) के संयंत्र दिल्ली में लगाए जाएंगे।

जनभागीदारी से स्वच्छता और सुंदरता

01 'स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली' योजना को शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जन भागीदारी के द्वारा दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण से मुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

02 प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जनता और सरकार के बीच भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

03 स्कूलों में बच्चों को 'ग्रीन गुड डीड्स' की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली के सभी स्कूलों की मदद से प्रदूषण पर बच्चों द्वारा जनजागरण अभियान चलाए जाएंगे।

04 दिल्ली में घरों की बालकनी और छतों पर हरियाली विकसित करने के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा।

05 वॉक के दौरान प्लास्टिक को एकत्रित करने यानी प्लॉगिंग को जनांदोलन का रूप दिया जाएगा।

10

*प्रतिनिधि चित्र

दिल्ली की जीवनधारा - यमुना

01 यमुना के स्वच्छ, निर्मल और निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने और उसके आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 'दिल्ली यमुना विकास बोर्ड' का गठन किया जाएगा।

02 समयबद्ध तरीके से यमुना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने के लिए सभी जरूरी कदम प्राथमिकता से उठाए जाएंगे। इसके लिए हम बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न निकायों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

03 पवित्र यमुना नदी के धार्मिक महत्व को अधिक उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर 'यमुना महोत्सव' मनाया जाएगा।

04 यमुना नदी के घाट पर यमुना संग्रहालय स्थापित करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अनेक स्थान विकसित किए जाएंगे।

05 छठ पूजा के दौरान समुचित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई घाट बनाए जाएंगे।

06 वजीराबाद से सोनिया विहार, जगतपुर और द्रोनिका सिटी के बीच किफायती, प्रदूषण रहित और तीव्र गति की वॉटर टैक्सी का प्रचालन यमुना नदी में किया जाएगा।

07 दिल्ली से आगरा होते हुए प्रयागराज के बीच यमुना नदी में जलमार्ग विकसित करने की 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजना हमारी सरकार द्वारा तैयार की गयी है।

08 मनोरंजन एवं पर्यटन के लिए सुंदरतम हब के रूप में यमुना तटों को साबरमती और वाराणसी के घाटों की तरह विकसित किया जाएगा।

09 यमुना को साफ करने के लिए बायो-रीमेडियेशन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और यमुना में जाने वाले गंदे पानी से प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक उत्पादन के स्रोत पर नई जैव उपचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा एवं एस.टी.पी. क्षमता का विस्तार किया जाएगा।

10 हम 'यमुना बचाओ' आंदोलन में जनता की भागीदारी को व्यापक पैमाने पर सुनिश्चित करेंगे।

11

महिलाओं का सम्मान

01 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक नई योजना शुरू करेंगे जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक परिवार की पहली 2 लड़कियों के जन्म के साथ उनके नाम से निश्चित राशि सरकार द्वारा खाते में जमा की जाएगी और उनके 21 साल के होने पर उन्हें 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा।

02 प्रतिभावान छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने हेतु विशेष निधि उपलब्ध करायी जाएगी।

03 आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहीं लड़कियों को हम साइकिल देंगे।

04 लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कॉलेज में प्रवेश लेने वाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की छात्राओं को हम इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे।

05 महिलाओं के उत्थान और समुचित विकास की योजनाओं पर विमर्श करने और सुझाव देने हेतु हम एक विशेष 'महिला सशक्तिकरण मिशन बोर्ड' की स्थापना करेंगे।

06 स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन के मुफ्त वितरण की व्यवस्था की जाएगी।

महिला सुरक्षा

01 महिलाओं के गरिमा की रक्षा के लिए और उनमें सुरक्षा का विश्वास पैदा करने के लिए व्यापक कदम उठाने और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु 'रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना' की शुरूआत की जाएगी।

02 महिलाओं की सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का विस्तृत इस्तेमाल किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा संबंधी 'सिंगल पॉइंट सपोर्ट' के लिए विशेष 24 घंटे कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की जाएगी।

03 मुख्यमंत्री कार्यालय के तहत एक महिला सुरक्षा सेल स्थापित किया जाएगा जो दिल्ली पुलिस से समन्वय कर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

04 महिला संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए अधिक संख्या में फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू की जाएंगी। इस संबंध में बने सभी महिला सुरक्षा कानून, विशेषकर बलात्कार से जुड़े हुए कानून को सख़्ती से लागू किया जाएगा।

05 हम महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता पर सभी डार्क स्पॉट्स को समाप्त करेंगे।

06 दिल्ली के विभिन्न मार्केटों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में महिला होमगार्ड की सेवाएं ली जाएंगी और सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाए जाएंगे।

07 विद्यालयी शिक्षा में आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, जिसमें मार्शल आर्ट को प्रमुखता दी जाएगी।

08 घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के संरक्षण के लिए नए आश्रय गृह बनाए जाएंगे।

09 बेघर महिलाओं एवं बच्चों के लिए अलग से रैन बसेरे बनाए जाएंगे।

कामकाजी महिला

01 हम महिलाओं को कार्य स्थल पर होने वाले शोषण, दुर्व्यवहार एवं यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम उनके लिए समान वेतन और न्याय सुनिश्चित करेंगे।

02 कामकाजी महिलाओं के लिए पर्याप्त और किफायती आवसीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्किंग विमेंस हॉस्टलों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

03 कार्यालयों में एवं निर्माण स्थल पर महिला कर्मचारियों द्वारा साथ लाए गए बच्चों के लिए क्रेश स्थापित किए जाएंगे। ऐसे क्रेश में बेबी फीडिंग कक्ष, छोटे बच्चों के खिलौने, स्वच्छ वातावरण और आंगनवाड़ी वर्करों की तरह प्रशिक्षित महिलाएं सेवारत रहेंगी।

04 घरेलू कामकाज करनेवाली महिलाओं को कार्यकुशल बनाने और उनके हितों की रक्षा हेतु महिलाओं को विविध घरेलू कार्यों में ट्रेनिंग देने हेतु अल्पावधि के निःशुल्क कोर्स की शुरूआत की जाएगी और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पहलों से जोड़ा जाएगा।

आश्रय/बाल सुधार गृह

01 दिल्ली के सभी अनाथालयों और बाल सुधार गृहों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और उनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इन केंद्रों में रह रहे बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।

महिला उद्यमिता

01 महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को देखते हुए हम महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास और सहायता करेंगे।

02 महिलाओं एवं नव-युवतियों को पहली बार स्टार्टअप शुरू करने के लिए कैपिटल सब्सिडी और ब्याज पर सब्सिडी दे कर उनके बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।

03 महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को सुचारू बनाने और उसका विस्तार करने के लिए सरकार ऋण की व्यवस्था करेगी।

04 स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिला स्व-समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री में सरकार महिला हाट जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान कर विशेष सहयोग करेगी।

05 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

12

व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन

व्यापार

01 व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के कल्याण के लिए हमारी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, इसी तर्ज़ पर दिल्ली में भी हम एक व्यापार बोर्ड का गठन करेंगे। यह बोर्ड, व्यापारियों और सरकार के बीच संवाद कायम करने हेतु एक सेतु बनेगा एवं सभी आवश्यक लाइसेंस और स्वीकृतियों को सिंगल विंडो के माध्यम से दिलाने में मदद करेगा।

02 दिल्ली में सीलिंग के कारण व्यापारी और कारोबारियों को हुई परेशानी को दूर करने के लिए हम सभी प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार की सहायता से समुचित संशोधन के जरिए राहत देने के और भी प्रयास किए जाएंगे।

03 10 लाख व्यापारियों के दुकानों-दफ्तरों को लीज्होल्ड से फ्रीहोल्ड कराने का कार्य युद्ध-स्तर पर किया जाएगा।

04 हम पंजीकृत लघु उद्यमियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

05 भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना' के अंतर्गत सभी पात्र व्यापारियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा जिसके माध्यम से उन व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी।

06 दिल्ली के बाजारों में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

उद्योग

01 दिल्ली के तेज़ आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु हम दिल्ली को विश्वस्तरीय 'सर्विसेस हब' के तौर पर विकसित करेंगे। इसके माध्यम से रोज़गार और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष योजना प्राथमिकता से लागू की जाएगी और इसके तहत पर्यटन, खुदरा व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा, मेडिकल टूरिज़्म एवं फैशन-लाइफ स्टाइल आदि सर्विसेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

02 दिल्ली को आधुनिकतम 'ऊर्जा प्रौद्योगिकी' में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने हेतु स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी (Green Energy Technology) कंपनियों के लिए 'ग्रीन इंडस्ट्री कॉरिडोर' स्थापित किया जाएगा।

05 उद्योग स्थापित करने वाले लोगों की सहायता हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स केन्द्र खोले जाएंगे।

06 सभी औद्योगिक क्षेत्रों में समस्या निवारण केन्द्र खोले जाएंगे।

07 बिजली की औद्योगिक दरों की समीक्षा कर उसे अन्य राज्यों के समकक्ष बनाएंगे।

08 औद्योगिक संपत्ति को फ्री होल्ड बनाने की दिल्ली सरकार की 2005 की नीति की समीक्षा के बाद इसे उदार और व्यावहारिक बनाया जाएगा।

09 डी.एस.आई.डी.सी. के पुनर्वासित औद्योगिक प्लाटों को फ्रीहोल्ड किया जाएगा तथा परिवार में विभाजित औद्योगिक प्लाटों को नियमित/फ्रीहोल्ड की अनुमति दी जाएगी।

*प्रतिनिधि चित्र

03 3 लाख घरेलू उद्योगों के कामकाज के लिए आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब इन्हें कामकाज में कोई मुश्किल न आए।

04 हम केन्द्र सरकार के साथ परामर्श कर उद्योग स्थापित करने के लिए विविध लाइसेंस के स्थान पर एक संयुक्त लाइसेंस जारी करवाने की व्यवस्था करवाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम के फैक्ट्री लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा।

10 बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पुनःस्थापित उद्योगों के प्लॉट को फ्रीहोल्ड करेंगे। इन उद्योगों पर लागू तीन गुना रख-रखाव का शुल्क समाप्त किया जाएगा। इन उद्योगों का संपत्ति कर समाप्त किया जाएगा।

13

युवा ऊर्जा का विकास

01 हम अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 10 लाख रोज़गार उपलब्ध कराएँगे और युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएंगे।

02 युवाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए हम एक समर्पित 'युवा कल्याण बोर्ड' का गठन करेंगे।

03 इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक नवाचार परिषद (इनोवेशन कांउसिल) की स्थापना की जाएगी।

04 दिल्ली को 'स्टार्टअप सिटी' के रूप में विकसित करने और युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के विशेष 'स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड' सहित एक दूरदर्शी स्टार्टअप नीति, इनोवेटर्स के लिए को-वर्किंग स्पेस और इन्क्यूबेशन सेंटर जैसे लक्षित कदम उठाए जाएंगे।

05 युवाओं को रोज़गार के अवसरों से जोड़ने के लिए सभी रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उन्हें प्लेसमेन्ट एजेन्सी से भी अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर पारदर्शी और कारगर तरीके से युवाओं को रोज़गार के अवसरों से जोड़ा जाएगा।

06 युवाओं में उन्नत कौशल विकसित कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने हेतु हम 'विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय' की स्थापना करेंगे। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 100% रोज़गार सुनिश्चित किया जाएगा।

07 हम दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कौशल विकास केन्द्र खोलेंगे, जहां अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रम के जरिए युवकों को उनके संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाएंगे।

08 हम विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे, जहां से शिक्षा लेने वाले युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

09 ऑनलाइन वोकेशनल कोर्स और वर्चुअल कक्षाओं की शुरुआत बड़े पैमाने पर की जाएगी ताकि ये युवाओं के लिए कौशल एवं योग्यता बढ़ाने का माध्यम बने।

10 दिल्ली में बढ़ती नशे की लत चिंता का विषय बनी हुई है और इससे युवा वर्ग बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहा है। समाज को इससे मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी और उसे एक बृहद जनांदोलन के रूप में चलाया जाएगा।

14

खेल प्रतिभा को बढ़ावा

01 हम सरकार में आते ही दिल्ली के लिए एक नई खेल नीति बनाएंगे जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' की अवधारणा के अनुरूप होगी।

02 खेलों को संस्थागत बढ़ावा देने हेतु दिल्ली में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही, ज़िला स्तर पर खेल अकादमियां बनायी जाएंगी।

03 वर्तमान में उपलब्ध बुनियादी खेल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाएगा और आवश्यकतानुसार, नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

04 खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएँ एवं संसाधन प्रदान किए जाएंगे, इससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

05 खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना बनायी जाएगी।

06 जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नए प्रतिष्ठित अवार्ड देने की शुरुआत की जाएगी।

07 खिलाड़ियों को उनके द्वारा चुने क्षेत्रों एवं सरकारी नौकरियों में सुरक्षा प्रदान करने के साथ आकर्षक कॅरियर पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके।

08 कबड्डी, खो-खो, मलखम्ब और कुश्ती जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

09 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' के तहत दिल्लीवासियों की सेहत को ठीक रखने के लिए 500 पार्कों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे और साथ ही बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क और थीम पार्क का विकास किया जाएगा।

10 नयी आवासीय कालोनियों में खेल गतिविधियों के लिए क्षेत्रमय स्थान देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

15

*प्रतिनिधि चित्र

प्रभावी सुशासन से विकास

01 दिल्ली के तेज़ विकास के लिए हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगमों के बीच उच्चतम समन्वय सुनिश्चित करने हेतु हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। 'कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म' के आदर्श का पालन करते हुए दिल्ली के लोगों के बहुआयामी विकास के नए अवसर निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

02 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में भाजपा की केन्द्र सरकार ने साफ़, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त सुशासन का उदाहरण देश के सामने रखा है। दिल्ली में भी इस उदाहरण का अनुकरण करते हुए दिल्ली के लोगों को एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सभी जरूरी कदम हम उठाएंगे।

03 पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे ज़ीरो टॉलरेंस का परिचय देते हुए केंद्र में भाजपा की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल विधेयक को लागू किया है। दिल्ली में भी यह हमारी प्राथमिकता रहेगी।

04 भष्ट्राचारियों को दण्डित करने के सख्त प्रावधान किए जाएंगे और ऐसे मामलों के जल्द निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे।

05 सरकार के सभी विभागों और संगठनों में नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

06 हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में निराकरण किया जाए। इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष नागरिक शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

07 दिल्ली में सरकारी सेवाओं से संबंधित हर प्रकार की शिकायतों और सुझावों को देने के लिए हम एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाएंगे। इस पर प्राप्त शिकायतों और सुझावों को संबंधित विभागों के पास भेजा जाएगा और उन्हें 30 कार्य दिवसों में एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी।

08 सरकारी योजनाओं में जवाबदेही और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट की प्रणाली प्रारंभ की जाएगी और इसमें समाजसेवी संस्थाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।

09 सभी सरकारी सुविधाओं, जैसे अस्पताल, स्कूल आदि का अधिकतम एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

मिशन डिजिटल दिल्ली

01 हम पूरी दिल्ली में प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाएंगे ताकि कार्यालयों, बैंकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तेजी से काम हो और भ्रष्टाचार का अंत हो, इससे आदर्श पारदर्शी व्यवस्था कायम होगी।

02 सरकारी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाएगा ताकि उन तक पहुँच आसान हो सके।

03 दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाएगा।

04 दिल्ली में सभी मकानों और भवनों के रिकार्ड को कम्प्यूटराईज किया जाएगा।

05 सभी न्यायालयों में ई-पुस्तकालयों के साथ वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

06 सरकार के विभिन्न विभागों में परियोजनाओं के लिए ई-टेण्डर जारी किए जाएंगे और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की रिकार्डिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

भागीदारी

01 स्थानीय स्तर पर नियोजन, विकास एवं रख-रखाव में आर.डब्ल्यू.ए. की भूमिका को सशक्त किया जाएगा, उनके साथ सरकार का समन्वय बढ़ाया जाएगा और इस कार्य के लिए अनुदान दिया जाएगा।

16

दिल्ली नगर निगमों से समन्वय

01 दिल्ली के नगर निगमों को और सशक्त बनाया जाएगा और उनका बजट बढ़ाया जाएगा ताकि निगम जनहित में अधिक से अधिक परियोजनाएं शीघ्र पूरी कर सके।

02 दिल्ली की नगर निगमों की विकास योजनाएं अधिक जन केंद्रित बनायी जाएंगी, इसके लिए सामूहिक आवास सोसाइटियों में रखरखाव के लिए निगमों को सहयोग दिया जाएगा और इन आवास सोसाइटियों के साथ संस्थागत समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

03 जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में सभी विकास कार्य स्थानीय निगम पार्षद, विधायक एवं सांसद विकास कोषों व अन्य सरकारी योजनाओं से कराए जाते हैं, उसी प्रकार ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के अंदरूनी सार्वजनिक कार्य भी इन कोषों से कराए जाएंगे।

04 छोटे प्लॉटों को जोड़कर और बड़े प्लॉटों को विभाजित करके भवन निर्माण हेतु एक नक्शा पास करवाने की स्वीकृति दी जाएगी।

05 सभी आवासीय कालोनियों में आधुनिक और सुसज्जित सामुदायिक केन्द्र बनाए जाएंगे।

17

*प्रतिनिधि चित्र

कानून और न्याय के लिए कदम

01 सबके लिए सहज और समयोचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। लंबित मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी ताकि एक साथ बड़ी संख्या में मामले निपटाए जा सके।

02 महिलाओं पर होने वाले अत्याचार तथा बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की जल्द सुनवाई के लिये आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा।

03 वरिष्ठ नागरिकों के मुकदमों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी।

04 जन साधारण की सुरक्षा हेतु सिविल डिफेंस और होम गार्ड को सुदृढ़ बनाकर प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह किसी भी आपात परिस्थितियों में कार्य कर सके।

05 अग्निशमन के ढांचे को सुचारू और व्यापक बनाया जाएगा। अग्नि सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और फायर ऑडिट कराया जाएगा।

18

*प्रतिनिधि चित्र

पर्यटन और धरोहर का संवर्धन

01 दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है। यहां विश्व भर से पर्यटक आते हैं और इनकी संख्या हर साल बढ़ रही है। हम दिल्ली को वैश्विक धरोहर के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पर्यटन, रोज़गार और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

02 पर्यटकों के लिए दिल्ली को सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण बनाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा।

03 ऐतिहासिक स्मारकों एवं अन्य पर्यटन स्थलों को सुंदर व सुसज्जित बनाकर पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा।

04 भारत के आर्किओलॉजिकल सर्वे के अधीन ऐतिहासिक स्थानों का सही रख-रखाव होगा और उनकी प्राचीन शान को सुरक्षित रखा जाएगा। ऐतिहासिक स्मारकों में हरियाली विकसित की जाएगी और रात में वहां सुन्दर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कर इन स्थानों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा।

05 सभी ऐतिहासिक इमारतों एवं आर्किओलॉजिकल स्थानों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और उन्हें स्वच्छ एवं अधिक आकर्षक और पर्यटक उन्मुख बनाने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त किया जाएगा।

06 विभिन्न स्थानों पर पर्यटक सहायता केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां उचित शुल्क पर पर्यटन सेवाओं की उपलब्धता होगी।

07 सभी उपयोगी सेवाओं से युक्त हाईटेक पर्यटक बसें शुरू की जाएंगी , जिससे पर्यटन अनुभव अधिक आकर्षक बन सके।

08 हर वर्ष दिल्ली शॉपिंग फ़ेस्टिवल आयोजित करने की विस्तृत योजना बनायी जाएगी।

09 दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स और इन्सेन्टिव स्कीम लागू करेंगे। इससे दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

10 दिल्ली को कल्चरल हब के रूप में विकसित करने के लिए दिल्ली साहित्य महोत्सव, दिल्ली फूड फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल, दिल्ली नाट्य उत्सव, दिल्ली किड्स कार्निवाल्स, दिल्ली शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव, टेलेन्ट शोज एवं विविध प्रदर्शनी आदि को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा।

11 दिल्ली की धरोहर को विश्वस्तर पर प्रदर्शित करने के लिए अतुल्य भारत मैरथोन एवं साइक्लोथोन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजन किया जाएगा।

12 अतुल्य भारत पर्यटक सहयोग योजना के अंतर्गत पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर पर्यटक गाइड के तीन माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

13 हम दिल्ली में सभी जलाशयों को प्रमुख पर्यटक आकर्षण केन्द्र बनाने की योजना बनाएंगे।

14 वजीराबाद जलाशय, मालचा महल, वजीरपुर स्मारक काम्पलैक्स और रानी महल बारादरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

धरोहर सम्पत्ति

01 ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली (वॉल्ड सिटी) को आधुनिक एवं सुंदर बनाकर इसका कायाकल्प किया जाएगा।

02 हम 'पुरानी दिल्ली संरक्षण प्राधिकरण' बनाएंगे। यह प्राधिकरण पुरानी दिल्ली की धरोहर को संरक्षित करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा।

03 शाहजहानाबाद री-डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चांदनी चौक इलाके को बेहतर बनाने के काम को सही गति नहीं दे पा रही है, इसलिए हम चांदनी चौक पुनर्विकास बोर्ड का गठन करेंगे और पुरानी विरासत के संरक्षण तथा आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का काम तेजी से शुरू करेंगे।

कला और संस्कृति

01 दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत, कला एवं संस्कृति को दिखाने हेतु 'दिल्ली धरोहर संग्रहालय' की स्थापना की जाएगी।

02 शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि के प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

03 लेखकों एवं कलाकारों के साथ-साथ क्षेत्रीय कलाकारों एवं लेखकों को सम्मानित किया जाएगा।

04 दिल्ली के गांवों का इतिहास, लोककला, संस्कृति और भाषा का संरक्षण एवं विकास किया जाएगा।

19

प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली

01 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूँ का आटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवारों को दिया जाएगा।

02 आवश्यक वस्तुओं की मंहगाई की स्थिति में उन वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मुख्यमंत्री जन-कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से बाजार प्रबंधन के जरिये वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाकर लोगों को मंहगाई से राहत दिलायी जाएगी।

03 राशन वितरण प्रणाली में जवाबदेही और प्रभावशीलता को सुधारा जाएगा और उसे पूर्ण रूप से कंप्यूटराईज करके ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

04 राशनकार्ड से वंचित गरीबों को राशनकार्ड दिए जाएंगे।

20

ग्रामीण और कृषि विकास पर ध्यान

01 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप नवाचार और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्मार्ट गाँव बनाए जाएंगे। इनके माध्यम से दिल्ली के गाँवों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकास हो सकेगा।

02 वर्तमान कानूनी प्रावधानों के कारण दिल्ली के किसानों को अपनी ज़मीन के उपयोग और खरीद-बिक्री में आनेवाली समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 33 और धारा 81ए को भारत सरकार की सहायता से समाप्त किया जाएगा।

03 20 - सूत्री कार्यक्रम के तहत दिए गए भूखंडों का मालिकाना हक़ दिया जाएगा।

04 भूमि अधिग्रहण के समय किसान को मुआवज़े के साथ-साथ वैकल्पिक रिहायशी भूखण्ड दिया जाएगा।

05 दिल्ली की ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा की ज़मीन का आधा भाग गाँवों के विकास के लिए छोड़ेगी।

06 दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की जाएगी और किसानों को 6000 रुपये की सम्मान निधि प्रति वर्ष सीधे उनके खाते में दी जाएगी।

07 कुम्हार, नाई, लोहार आदि जैसे कारीगरों/व्यवसायिकों के लिए आसान और सस्ते ऋण की व्यवस्था की जाएगी।

08 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गठित 'ग्रामीण विकास बोर्ड' को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उनकी अनुदान राशि में वृद्धि की जाएगी।

09 लगभग 300 शहरीकृत गाँवों के योजनाबद्ध एवं तीव्र विकास के लिए 'शहरी गाँव विकास बोर्ड' बनाया जाएगा।

10 शेष 60 ग्रामीण गाँवों को शहरी घोषित किया जाएगा, ताकि वहां बेहतर विकास हो सके।

11 फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेंगे और मंडी में आयी फसलों के सामूहिक बीमा की व्यवस्था करेंगे।

12 दिल्ली में जैव फलों और सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों को आय के नए साधन उपलब्ध कराने हेतु अलग-अलग कालोनियों में विशेष कृषि मार्ट बनाए जाएंगे।

13 दिल्ली ग्राम सभाओं के अधीन आने वाले क्षेत्रों का संरक्षण किया जाएगा, जिससे वहाँ की ग्रामीण संस्कृति को सुरक्षित किया जा सके।

14 ग्रामीण परंपराओं, संस्कृति, जीवन शैली और समृद्ध हस्तकला के प्रदर्शन के लिए संपूर्ण गाँवों को "विलेज टूरिज़्म" के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां आकर पर्यटक प्राचीन गाँवों के वातावरण का आनंद ले सकेंगे।

पशु सदन/गौशाला

01 सभी कार्यशील दुधारू पशुओं को बीमा के दायरे में लाएंगे और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच का प्रावधान करेंगे।

02 देसी वंश की गायों की ख़रीद और पालन के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

03 देसी गायों के दूध की बिक्री के लिए विशेष विपणन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा।

04 लावारिस एवं आवारा पशुओं को सुविधायुक्त पशु सदनों और गौशालाओं में भेजा जाएगा।

05 पशु सदनों/गौशालाओं की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थाओं को दी जाएगी।

21

सभी वर्गों का लक्षित कल्याण

अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग

01 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवास आवंटन की एक विशेष योजना शुरू की गयी है जिसके तहत आवास आवंटित किए जाएंगे।

02 सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षित खाली पदों को भरा जाएगा और समय सीमा के अंतर्गत प्रोन्नति दी जाएगी।

03 अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

04 पिछड़े वर्गों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष आर्थिक प्रकोष्ठों की स्थापना की जाएगी।

05 अति पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अलग से एक 'अति पिछड़ा वर्ग बोर्ड' का गठन करेंगे।

06 सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की समस्याओं के समाधान और उनके विकास के लिए 'आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया जाएगा।

संगठित/असंगठित श्रमिक

01 प्रशिक्षित युवकों में रोजगार के अवसरों की जानकारी के अभाव को दूर करने के लिए 'डायनेमिक श्रम प्रबंधन प्रणाली' स्थापित की जाएगी, जिसमें रोजगार की उपलब्धता और अवसरों की अपडेट की गयी नवीनतम सूचना मिलती रहेगी।

02 श्रमिकों के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा कर उसमें समुचित आवश्यक वृद्धि की जाएगी।

03 निश्चित अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारियों के लिए समान वेतन, कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण, ग्रेच्युटी, ई.एस.आई.सी. जैसे लाभ उसी तरह प्रदान किए जाएंगे जैसे कि नियमित कामगारों को मिलते हैं।

04 हम 'दिल्ली श्रम सम्मान योजना' की शुरूआत करेंगे जिसके अंतर्गत सभी असंगठित श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने के लिए नामांकित किया जाएगा। इस पैकेज के अंतर्गत पहचान पत्र, जन-धन बैंक खाता, आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज, जीवन और दुर्घटना बीमा शामिल होंगे।

05 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शत्-प्रतिशत नामांकन किया जाएगा जिसके तहत उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।

06 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) 10 से अधिक मजदूरों वाली फैक्ट्रियों पर लागू होता है। इसे 10 से कम मजदूरों वाली फैक्ट्रियों पर भी लागू करने का विकल्प दिया जाएगा।

07 श्रम विवादों के तेजी से निपटान के लिए दो सदस्यों का औद्योगिक श्रम ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा।

08 साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को स्थायी तौर पर स्थान दिए जाएंगे और ऐसे सभी कामगारों के पहचान-पत्र की व्यवस्था की जाएगी।

09 फेरीवालों और रेड़ी-पटरी वालों की आजीविका को सुनिश्चित और सुरक्षित करने हेतु उन्हें नियमित करने के लिए तुरंत सर्वे किया जाएगा और उनको जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी। उनके लिये स्थान सुनिश्चित किए जाएंगे और सरल तरीके से लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

10 निर्माण क्षेत्र में असंगठित महिला श्रमिकों के बच्चों की देखभाल एवं विकास के लिए निर्माण स्थलों के नज़दीक हम विशेष अस्थायी केन्द्र खोलेंगे।

वरिष्ठ नागरिक

01 दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक स्वाभिमान बोर्ड बनाया जाएगा।

02 हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेक्रिएशनल सेंटर्स की स्थापना करेंगे और उन्हें बेहतर बनाने के लिए निवेश करेंगे। साथी ही, हम वृद्धाश्रमों में सुविधाएँ बढ़ाएंगे और आवश्यकतानुसार नये वृद्धाश्रम बनाएंगे।

भूतपूर्व सैनिक

01 सेना से पूर्व जवानों/अधिकारियों और शहीद जवानों के एक बच्चे को दिल्ली के स्कूलों में अध्यापक के तौर पर नियुक्त करने का प्रावधान किया जाएगा।

02 दिल्ली सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण रक्षा मंत्रालय से विचार-विमर्श कर लागू किया जाएगा।

03 पूर्व सैनिकों को डी.डी.ए. की आवास योजना में 5 प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय आवास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर लागू किया जाएगा।

दिव्यांग

01 'सुगम्य भारत योजना' के अंतर्गत दिल्ली में सभी सरकारी और सरकारी एजेन्सियों के भवनों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने हेतु रैम्प और अन्य सुविधाओं का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा।

02 बस स्टॉप एवं ऑटो स्टैण्ड पर वर्तमान सुविधाओं को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। सभी मेट्रो और बसें भी दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक एवं अनुकूल बनायी जाएंगी।

03 दिव्यांगों के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत उनके लिए 'केयर केन्द्र' खोले जाएंगे। भारत सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

04 भारत सरकार द्वारा देश भर में दिव्यांगों के लिए बनाए जा रहे पांच विशेष दिव्यांग स्टेडियमों की तर्ज पर एक स्टेडियम दिल्ली में बनाया जाएगा ताकि दिल्ली के दिव्यांग अपनी रुचि के खेल में कुशल बन सकें।

05 बेघर दिव्यांग लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएंगी।

06 जरूरतमंद दिव्यांगों के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और समुचित सुविधाएं दी जाएंगी।

07 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सफाई कर्मचारी

01 सेवारत सफाई कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

02 दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की, कई वर्षों से लंबित बकाया राशि (Arrears) का केन्द्र के सहयोग से तुरंत भुगतान कराया जाएगा।

स्ट्रीट चिल्ड्रन, कूड़ा बीनने वाले एवं स्कैवेन्जर्स

01 उपेक्षित, बेघर, निराश्रित, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले तथा फेरीवाले बच्चों के कल्याण और विकास के लिए हम एक प्रभावी नीति बनाएंगे और उनके लिए समावेशी योजना बनाएंगे।

02 कूड़ा बीनने वालों और स्कैवेन्जर्स के लिए कचरे को अलग-अलग करने, रिसाइकिल व निपटान को उनके आय अर्जन का स्त्रोत बनाने की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएंगी।

अल्पसंख्यक

01 अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। अल्पसंख्यक महिलाओं को व्यापार और उद्योग के लिए उदार ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

02 अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में नये स्कूल खोले जाएंगे और मौजूदा स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाएगा।

03 दिल्ली में मदरसा बोर्ड की स्थापना की जाएगी तथा मदरसों में आधुनिक शिक्षा का समावेश किया जाएगा।

04 धार्मिक गुरुओं के साथ परामर्श से वक्फ जायदाद का संरक्षण किया जाएगा।

22

दिल्ली में बसे पूर्वोत्तर राज्यों के लोग

01 दिल्ली में रह रहे उत्तर पूर्व प्रदेशों से आनेवाले निवासियों की विशेष सुरक्षा हेतु 24 घंटे की हेल्पलाइन एवं इस संबंध में पुलिस थानों के साथ समन्वय की स्थायी व्यवस्था की जाएगी।

02 उत्तर-पूर्वी राज्यों से आए विद्यार्थियों और दिल्ली में काम करने वालों के लिए आवास की समस्या के समाधान के लिए महिला और पुरुषों के लिए विशेष हॉस्टल बनाए जाएंगे।

23

1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय

01 हम 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। इसके लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एस.आई.टी. की सभी सिफारिशों को अमल में लाया जाएगा और फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जाएंगी।

02 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एस.आई.टी. का निष्कर्ष है कि अवैध तरीके से मुकदमें चलाए गए और ये दिखावटी मुकदमे थे। इसके मद्देनज़र सभी मामलों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

03 1984 के दंगों के दौरान कमाने वाले सदस्यों के मारे जाने वाले पीड़ितों के एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी।

04 दंगों में विधवा हुई महिलाओं की मासिक पेंशन 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये की जाएगी।

24

सरकारी कर्मचारी के हितों की रक्षा

01 दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर नियुक्ति की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कार्यरत कर्मचारियों की प्रोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।

02 दिल्ली सरकार के विभागों में कर्मचारियों की संख्या की कमी को दूर करने के लिए पद स्वीकृत किए जाएंगे और उसके उपरांत भरे जाएंगे।

03 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एवं संस्थानों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की जॉब गारंटी मिलेगी।

25

*प्रतिनिधि चित्र

मीडिया के लिए सुविधाएँ

01 हम वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अंतर्गत आने वाले 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के उन जर्नलिस्ट को पेंशन देंगे, जो दिल्ली सरकार से कम से कम 15 साल से मान्यता प्राप्त (Accredited) रहे हैं।

02 वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें लागू नहीं करने की पत्रकारों की लंबित शिकायतों का तेजी से समाधान किया जाएगा।

03 दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त वर्किंग जर्नलिस्ट को 10 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा।

04 मान्यता प्राप्त पत्रकार, जिन्हें डी.जी.एच.एस. की सुविधा मिलती है, हम उन्हें प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। पत्रकार की मृत्यु के उपरांत उन पर आश्रित परिवारजनों को यह सुविधा जारी रखी जाएगी।

26

*प्रतिनिधि चित्र

ट्रांसजेन्डर का उत्थान

01 ट्रांसजेन्डरों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए नई नीति बनायी जाएगी।

02 ट्रांसजेन्डरों की व्यवस्थित तरीके से पहचान की जाएगी और उनके अधिकारों को बिना किसी भेदभाव के साथ पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

03 शासन में ट्रांसजेन्डरों की सक्रिय भागीदारी के लिए एक फोरम बनाया जाएगा और ट्रांसजेन्डरों के कल्याण के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनायी जाएगी।

27

*प्रतिनिधि चित्र

सम्मानजनक अंतिम संस्कार व्यवस्था

01 दिल्ली में बने श्मशान घाटों का सुधार, समुचित विस्तार और नागरिक सुविधाएं जैसे कि बैठने का स्थान, हरियाली, पेयजल की सुविधा, पंखे, शौचालय आदि प्रदान करने का काम हम करेंगे। सभी श्मशान घाटों पर मेडिटेशन कक्ष, भजन कक्ष बनाए जाएंगे।

02 नये ग्रीन शवदाह गृह बनाए जाएंगे।

03 सभी श्मशान घाटों पर सूचना पटल लगाये जाएंगे, जिन पर शव वाहन की उपलब्धता और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित आवश्यक सूचनाएं लिखी होंगी।

04 लावारिस लाशों का सम्मानपूर्वक निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जाएगा।

05 कब्रिस्तानों का सुधार किया जाएगा।

28

*प्रतिनिधि चित्र

विविध

01 इच्छुक साइकिल रिक्शा चालकों के बीच ई-रिक्शा को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई जाएगी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

02 गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सरकार 51 हजार रुपए का विशेष उपहार देगी।

03 सभी दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं एवं बुजुर्गों की मौजूदा पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी।

04 कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त पुलिस एवं सुरक्षा बलों की सहायता के लिए एक कोष का गठन किया जाएगा।

05 वर्तमान सरकार ने दिल्ली में जगह-जगह शराब की दुकानों का लाइसेंस दिया है, जिससे लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। हम लाइसेंस देने की इस प्रक्रिया को निरुत्साहित करेंगे।

06 हम मैनुअल स्क्वेन्जिंग को समयबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त करेंगे।

07 दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत कुलियों को ई.एस.आई. का लाभ दिलवाया जाएगा।

देश बदला
अब दिल्ली बदलो

भारतीय जनता पार्टी
दिल्ली प्रदेश

प्रकाशक : भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय
14, पंडित पंत मार्ग
नई दिल्ली - 110001
मुद्रक: M/s Smart Forms
Delhi
संख्या: 500

कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं